FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

नन्दाराम पुत्र आसुराम जाति मेघवाल बनाम आसाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल वगै.
सा. लोरा का बास नालोट तह. कुचामन सिटी सा. लोरा का बास नालोट तह. कुचामन सिटी

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए मुकदमां नम्बर 191 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
01.09.2022	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णुधर शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 408 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 409 रकबा 6.12 हैक्टर भूमि का बैचान/हस्तानांतरण/रहन नहीं करें एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को पेश हो। (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
6/10/22	उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी 1 ता 3 की ओर से Adv- श्री आनन्दीलाल कुमावत ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बकाया तलबी व जवाब दि० 30/11/22 को पेश हो	
18/11/22	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत होनेपर आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व [illegible] के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका [illegible] प्रकरण को आगे नहीं चला[illegible] प्रा०पत्र को जरिये विड्रोल खारिज किया जावे। अतः प्रार्थी के निवेदन [illegible] प्रार्थी का प्रा० पत्र जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 12:57:45 IST
Reason: SelfAttested